कार्यालय, क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी जनपद–अमेठी

–: प्रेस विज्ञप्ति :–

पत्रांक– 114 /क्षे0आयु0यू0चि0अ0/हे0वे0से0/विज्ञप्ति/2026–27/ दिनांक– 16.09.2026

शासनादेश संख्या–W–81/96/ आयुष–2–2020–127/2016, दिनांक 04.12.2020 के क्रम में जनपद अमेठी में **अंशकालिक योग प्रशिक्षक पुरूष के 05 पद एवं महिला के 10 पदों सहित कुल 15 पदों** के लिये नीचे अंकित तालिका के कालम संख्या–03 के अनुसार नियुक्ति/आबद्धीकरण किये जाने हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं, जिसका विवरण निम्नवत है।

<table>
<tr><th colspan="2">पदनाम</th><th colspan="3">पद की संख्या</th><th>अर्हता</th><th>पारिश्रमिक</th></tr>
<tr><td colspan="2">1</td><td colspan="3">2</td><td>3</td><td>4</td></tr>
<tr><td colspan="2">योग प्रशिक्षक
अंशकालिक</td><td colspan="3">05 पुरूष एवं
10 महिला
कुल 15 पद</td><td rowspan="7">(1) योग प्रशिक्षक (अंशकालिक)
आयु सीमा– न्यूनतम 21 वर्ष या 21 वर्ष से अधिक स्वस्थ एवं 65 वर्ष तक के अभ्यर्थियों को वरीयता दी जायेगी।
शैक्षिक योग्यता–
(ए) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों/संस्थानों से साढ़े पॉच वर्षीय कोर्स बैचलर ऑफ नेचुरोपैथी एण्ड योगिक साइंस (बी0एन0वाई0एस0) डिग्री धारक
अथवा
(बी)1– बी0ए0 (योग) तीन वर्षीय डिग्री धारक/ बी0एस0सी0 (योग) तीन वर्षीय डिग्री धारक/एम0एस0सी0 (योग)/एम0ए0 (योग) डिग्री धारक
(बी)2– अनुभव 01 वर्ष।
अथवा
(सी)1– पी0जी0 डिप्लोमा (न्यूनतम एक वर्षीय पाठ्यक्रम) डिप्लोमा धारक
(सी)2 अनुभव 02 वर्ष।
अथवा
(डी)1– योग सर्टिफिकेशन बोर्ड नई दिल्ली द्वारा "योग वेलनेस इन्स्ट्रक्टर" प्रमाण पत्र धारक।
डी)2– अनुभव 01 वर्ष।
<u>नोटः–</u>
1–_हेल्थ वेलनेस सेन्टर अंशकालिक योग प्रशिक्षक पद हेतु स्थानीय निवासी को वरीयता दी जायेगी।
2– कार्य का अनुभव प्रमाण पत्र निर्धारित डिग्री/पी0जी0 डिप्लोमा/प्रमाण पत्र के उत्तीर्ण/प्राप्त करने के उपरान्त का ही मान्य होगा।</td><td rowspan="7">1.
अंशकालिक योग प्रशिक्षक पुरूष हेतु
पारिश्रमिक रू 8000/– प्रतिमाह।

2.
अंशकालिक योग प्रशिक्षक महिला हेतु
पारिश्रमिक रू 5000/– प्रतिमाह।</td></tr>
<tr><td colspan="2">Category</td><td>SC</td><td>GEN</td><td>OBC</td></tr>
<tr><td rowspan="2">आयुर्वेद/
यूनानी</td><td>पुरूष</td><td>02</td><td>01</td><td>0</td></tr>
<tr><td>महिला</td><td>02</td><td>03</td><td>01</td></tr>
<tr><td rowspan="2">होम्योपैथ</td><td>पुरूष</td><td>02</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td>महिला</td><td>02</td><td>02</td><td>0</td></tr>
<tr><td colspan="2">कुल योग</td><td>08</td><td>06</td><td>01</td></tr>
</table>

अभ्यर्थियों हेतु महत्वपूर्ण निर्देश एवं शर्तेः–

1. आवेदन पत्र पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट के माध्यम से <u>दिनांक–21.09.2026 दिन सोमवार से दिनांक–20.10.2026 दिन मंगलवार शाम 5 बजे तक</u> स्वीकार किये जायेंगे। शाम 5 बजे के बाद किसी भी दशा में आवेदन पत्र स्वीकार नही किये जायेंगे।
2. समस्त शैक्षिक योग्यता एवं अनुभव प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, जाति एवं निवास प्रमाण पत्र, स्व–प्रमाणित कर आवेदन पत्र के साथ संलग्न करें एवं यथास्थान स्व–हस्ताक्षरित पासपोर्ट साइज का अपना नवीनतम फोटो आवेदन पत्र में चस्पा करें।
3. अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन पत्र समस्त संलग्नकों सहित– कार्यालय, जिला होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी, अनुसूचित छात्रावास, रंजितवापुर, कटरा लालगंज, गौरीगंज, जनपद–अमेठी –227409 के पते पर प्रेषित किये जायेंगे।
4. आवेदन पत्र/समस्त नियम व शर्तें जनपद अमेठी के एन0आई0सी0 वेबसाइट https://amethi.nic.in पर उपलब्ध रहेगा, जिससे देखा एवं डाउनलोड किया जा सकेगा। अभ्यर्थी आवेदन से पूर्व वेबसाइट पर उपलब्ध निर्देशों का अवलोकन अवश्य कर लें।
5. अभ्यर्थियों को आवेदन पत्र के साथ दो लिफाफे जिस पर उनका नाम एवं पूर्ण पता (पिन कोड सहित) अंकित हो तथा दोनों पर रू0 22/– का टिकट लगा हो, संलग्न करना अनिवार्य होगा।
6. आवेदन पत्र पर मेल आई0डी0 एवं मोबाइल नंम्बर जो कि चलन में हो स्पष्ट रूप से अंकित करें।
7. आवेदन पत्र सावधानी पूर्वक भरा जाये। किसी प्रकार की त्रुटि अथवा ओवर राइटिंग होने पर आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जायेगा।
8. आवेदन/विज्ञापन से सम्बधी सहायता/जानकारी किसी भी कार्यदिवस में कार्यालय जिला होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी अमेठी में उपस्थित होकर प्राप्त की जा सकती है।
9. न्यूनतम 21 वर्ष या 21 वर्ष से अधिक स्वस्थ एवं अधिकतम 65 वर्ष तक के अभ्यर्थियों व स्थानीय निवासी को वरीयता दी जायेगी।

Scanned with OKEN Scanner

10. अभ्यर्थियों का शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वास्थ्य सम्बन्धित योगिक सेवायें प्रदान करने हेतु सक्षम होना आवश्यक है।
11. अभ्यर्थी द्वारा नोटरी शपथ पत्र इस आशय के साथ देय होगा कि अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत समस्त अंक प्रमाण पत्र एवं दस्तावेज पूर्णतः सत्य हैं। यदि कोई भी दस्तावेज फर्जी पाया जाता है, तो उसकी अर्हता को निरस्त कर दिया जायेगा, जिसके लिये वह स्वयं जिम्मेदार होगा।
12. अभिलेख का परीक्षण व साक्षात्कार, समिति द्वारा किया जायेगा। अभिलेखों के परीक्षणोपरान्त अभ्यर्थी के अनर्ह पाये जाने पर, अभ्यर्थी साक्षात्कार के लिये प्रतिभाग नही कर सकेंगे। अभिलेख के परीक्षण व साक्षात्कार हेतु पृथक से सूचना दी जाएगी।
13. योग प्रशिक्षक (अंशकालिक) चयनित होने के उपरान्त 15 कार्यदिवस के अन्दर आबद्धीकृत हेल्थ वेलनेस सेन्टर (आयुष्मान आरोग्य मंदिर) पर अनुबन्ध कराते हुये कार्यभार ग्रहण करेंगे। उक्त कालावधि में आरम्भ नही करने पर आबद्धीकृत स्वतः समाप्त हो जायेगा।
14. आयुष हेल्थ वेलनेस सेन्टर (आयुष्मान आरोग्य मंदिर) में अंशकालिक योग प्रशिक्षक पुरूष को प्रति सत्र कम से कम 01 घण्टे के साथ न्यूनतम 32 योग सत्र आयोजित करने होंगे तथा अंशकालिक योग प्रशिक्षक महिला को महिला समूह के लिये न्यूनतम 01 घण्टे के साथ 20 योग कक्षायें आयोजित करनी होंगी।
15. सम्बन्धित योग प्रशिक्षक (अंशकालिक) का चरित्र सत्यापन कराया जायेगा तथा इस सम्बन्ध में किसी प्रतिकूल निष्कर्ष की दशा में अनुबन्ध प्राधिकारी द्वारा आबद्धीकरण बिना किसी कारण बताये तुरन्त रद्द कर दिया जायेगा।
16. योग प्रशिक्षक (अंशकालिक) की सेवायें संतोषजनक न पाये जाने पर एक माह की नोटिस देकर समाप्त की जा सकेंगी।
17. यह नियुक्ति न तो किसी सृजित पद के विरुद्ध होनी है और न ही यह नियमित तैनाती है। योग प्रशिक्षक (अंशकालिक) राष्ट्रीय आयुष मिशन द्वारा स्वीकृत 1 वर्ष के लिये अनुबन्धित किये जायेंगे। राष्ट्रीय आयुष मिशन द्वारा योजना के निरन्तरता के अनुमोदनोपरान्त एक वर्ष के बाद दूसरे अनुबन्ध के मध्य न्यूनतम 15 दिन का अन्तराल अनिवार्य रूप से रखा जायेगा।
18. इस नियुक्ति के आधार पर राज्य सरकार के अधीन नियमित पदों पर नियुक्ति पाने का कोई दावा मान्य नही होगा।
19. नियुक्त व्यक्तियों पर राज्य सरकार के कर्मचारी पर प्रभावी 'गवर्नमेन्ट कन्डक्ट रूल' लागू होंगे तथा कार्य का आचरण संतोषजनक न पाये जाने पर बिना किसी नोटिस के 'सेवाएं आयुष समिति' के सक्षम अधिकारी अमेठी द्वारा तत्काल समाप्त की जा सकेंगी।
20. उपरोक्त विज्ञप्ति में किसी भी प्रकार का संशोधन/निरस्त करने का अधिकार चयन समिति के पास सुरक्षित रहेगा।
21. चयन समिति द्वारा लिया गया निर्णय ही सर्वमान्य होगा, कोई भी दावा मान्य नही होगा।
22. आवेदन पत्र/समस्त नियम व शर्तें जनपद अमेठी के एन0आई0सी0 वेबसाइट https://amethi.nic.in पर उपलब्ध रहेगा, जिससे देखा एवं डाउनलोड किया जा सकेगा। अभ्यर्थी आवेदन से पूर्व वेबसाइट पर उपलब्ध निर्देशों का अवलोकन अवश्य कर लें।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी
जिला आयुष समिति
जनपद- अमेठी

Scanned with OKEN Scanner

आवेदन–पत्र का प्रारूप

पासपोर्ट साइज का नवीनतम् स्वहस्ताक्षरित फोटो लगायें

1– विज्ञापन संख्या व दिनांक :– ....

2– आवेदित पद का नाम :– ....

3– अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी का नाम :– ....

4– पिता/पति का नाम :– ....

5– जन्मतिथि (अंको में) :– ....

6– दिनांक :– 21.09.2026 को आयु .... वर्ष.......... माह.......... दिन ....

7– पत्र व्यवहार का पूर्ण पता पिन कोड सहित :– ....

8– स्थाई पता पिन कोड सहित :– ....

9– जाति/वर्ग (प्रमाण–पत्र संलग्न करें) :– ....

10– मो0नं0 (व्हाट्सएप्प) :– .... ई–मेल :– ....

11– शैक्षिक योग्यता एंव व्यवसायिक योग्यता तथा अनुभव (प्रमाण–पत्र संलग्न करें)

क्र0सं0	उत्तीर्ण परीक्षा/डिग्री/डिप्लोमा का नाम	उत्तीर्ण वर्ष	बोर्ड/संस्था का नाम	पूर्णांक	प्राप्तांक	प्रतिशत	श्रेणी

12– अनुभव :–

क्र0सं0	संस्था का नाम जहाँ से अनुभव प्राप्त किया है।	कब से DD-MM-YY	कब तक DD-MM-YY	अभ्युक्ति

मैं .... एतद्द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा जो विवरण आवेदन प्रस्तुत किया गया है वह पूर्णतया सत्य एवं सही है कोई तथ्य छिपाया नहीं गया है। यदि कोई तथ्य/विवरण असत्य पाया जाये तो मेरा अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाए और मेरे विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही भी की जाय।

दिनांक :–..............................

स्थान :–..............................

संलग्नक :–..............................

अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी का नाम एवं पूरा पता–

हस्ताक्षर

Scanned with OKEN Scanner